संख्या-493जे0एल0/22-3-2025-ई-1995614

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 03-12-2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार-2, बरेली में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी अंकित यादव पुत्र श्री सुभाष यादव, निवासी जनपद-बरेली के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-43042/सामा-1(5)/183/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 20-11-2025 द्वारा प्रस्ताव एवं संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार-2, बरेली में निरूद्ध निम्न तालिका के विवरणानुसार बंदी को उसके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम, जहां स्थानांतरित किया जाना है
1	2	3
विचाराधीन बन्दी अंकित यादव पुत्र श्री सुभाष यादव	केन्द्रीय कारागार-2, बरेली	जिला कारागार, महाराजगंज

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4-जिला मजिस्ट्रेट, बरेली/महाराजगंज।

5-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली, पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज।

6-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, बरेली /अधीक्षक, जिला कारागार, महाराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी के कॉलम-3 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in